

२७/१/२६

अधिवक्ता अपीलान्त उप. / सेपो. सं. १९ के अधिवक्ता की
मदनाहस केणव अपस्थित / अधिवक्ता अपीलान्त ने
निवेदन किया कि अत अपील आगे चलने नही चाहते
हैं अतः अधिवक्ता अपीलान्त के निवेदन पर अत अपील
परिये अधिवक्ता नोट प्रेस में खारिज की जाती हैं।
प्रावणी इली मुताबिक निर्णित की जाकर फेंसल शुमार
दीकर बाद तर्कीय संख्या ले कम होकर दायिल दफतर
होई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Not pressed

